


21/7
25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीक उपस्थित
नहीं और न ही वादीगण उपस्थित। वादीगण व
उनके वकील को बार-बार, रुक रुक कर आवाज
लागती गयी। कोई भी उपस्थित नहीं। पत्रावली
अदम जैदवी, अदम हाजिरी में जारी की जाती
है। पत्रावली फैसला सुनाने की प्रक्रिया है।
तो। नबिल से कहें।


उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)